राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ.4(100)जैवविविध/विधि/पंरा/2012/2799 दिनांक : 26-09-2019

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद, समस्त (राजस्थान)।

विषय :– जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के गठन बाबत ।
प्रसंगः– विभागीय पत्रांक 1189 दिनांक 05.10.2018 एवं 1475 दिनांक 22.8.2019।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्रों के द्वारा आपसे अनुरोध किया गया था कि राजस्थान जैव विविधता नियम, 2010 की पालना में समस्त ज़िला परिषद्, पंचायत समिति एवं पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबन्ध समिति का गठन करने के लिए जैव विविधता नियम, 2010 के नियम 23(2) के प्रावधान के तहत आपकी ज़िला परिषद् के साथ–साथ समस्त पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों की साधारण सभा के द्वारा पत्र में वर्णित प्रारूप के अनुसार प्रस्ताव पारित करवाया जा कर, पालना रिपोर्ट विभाग को भिजवाई जावे।

खेद का विषय है कि अभी तक 13 ज़िलों से कुल 2852 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रस्ताव पारित करने की सूचना ही प्राप्त हुई है। प्रिंसीपल बेंच, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा Original Application No. 347 of 2016 में दिनांक 09.8.2019 को आदेश पारित कर जैव विविधता प्रबन्ध समितियों का गठन अविलम्ब किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप निम्नानुसार निर्धारित दिवसो को जैव विविधता प्रबन्ध समिति का गठन करने के लिए ज़िला परिषद्, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों की साधारण सभा की विशेष बैठकें आयोजित किया जान सुनिश्चित करें:–

ज़िला परिषद् साधारण सभा की विशेष बैठक	दिनांक 10.10.2019
पंचायत समिति साधारण सभा की विशेष बैठक	दिनांक 11.10.2019
ग्राम पंचायत साधारण सभा की विशेष बैठक	दिनांक 14.10.2019

उक्तानुसार आयोजित होने वाली विशेष बैठकों में जैव विविधता प्रबन्ध समिति गठन का प्रस्ताव पारित करने के अलावा अन्य विषयों (एजेण्डा) पर भी चर्चा की जा सकती है। जिन संस्थाओं द्वारा जैव विविधता प्रबन्ध समितियों का गठन किये जाने का प्रस्ताव पूर्व में पारित किया जा चुका है, उन्हें उक्तानुसार विशेष बैठक आयोजित कियं जाने की आवश्यकता नहीं है।

आपकी सुविधा के लिए पारित किये जाने वाले प्रस्ताव का प्रारूप पुनः प्रेषित किया जा रहा है जो इस प्रकार से है:– **" जैव विविधता संरक्षण सुनिश्चित किये जाने के लिए ग्राम**

पंचायत...../पंचायत समिति...../ज़िला परिषद्..... (जो भी लागू हो) की गठित स्थायी समितियों में से धारा–55–कः (1)(ग) में वर्णित "विकास एवं उत्पादन कार्यक्रम जिनमें कृषि, पशुपालन, लघु सिंचाई, सहकारिता, कुटीर उद्योग और सहबद्ध विषयों सहित सामाजिक सेवाएं और सामाजिक न्याय" समिति को जैव विविधता नियम, 2010 के नियम 23(2) के तहत जैव विविधता प्रबन्ध समिति का कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है तथा जैव विविधता प्रबन्ध समिति के कार्यो पर विचार हेतु वन विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी/कर्मचारी को स्थायी समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है। "

उपरोक्तानुसार निर्धारित दिवसों में ज़िला परिषद्/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत की साधारण सभा की विशेष बैठकें आयोजित कर, प्रस्ताव पारित किये जाने की ज़िले की **एकजाई सूचना (ज़िला परिषद् एवं ज़िले की समस्त पंचायत समिति/ग्राम पंचायत को सम्मिलित कर) आवश्यक रूप से दिनांक 16.10.2019 तक जरिए ई–गेल पंचायती राज विभाग को** भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। जिन ज़िलों द्वारा जैव विविधता प्रबन्ध समितियों का गठन किये जाने का प्रस्ताव पूर्व में पारित किया जा चुका है, वे ज़िले भी प्रस्ताव पारित होने की सूचना प्रेषित करें।

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाये।

(राजेश्वर सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, वायु ब्लॉक नई दिल्ली।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, प्लॉट न0 7, द्वारकापुरी, जमनालाल बजाज मार्ग, जयपुर।
5. ए0सी0पी0 मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाये जाने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव (विधि)